प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर, वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. 272/23 दिनांक 14/10/2023

2.(i) अधिनियम....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें ..... 7 ...
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....243..... समय .....1:30 pm.....
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 13.10.2023 समय ....01.18 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :–राजकीय विज्ञान महाविधालय, सबलपुरा, फतेहपुर रोड, सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से पश्चिम दिशा में करीब 07 किलोमीटर
(ब) पता :– राजकीय विज्ञान महाविधालय, सबलपुरा, फतेहपुर रोड, सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री राजेन्द्र जाखड़
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री झाबरमल
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 31 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– ग्राम दीपपुरा राजाजी, पुलिस थाना सदर सीकर जिला सीकर .....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी श्यामपुरा पुलिस थाना सदर सीकर जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 3,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अर्न्तगत निवेदन है कि मैं राजेन्द्र जाखड़ पुत्र श्री झाबरमल निवासी दीपपुरा राजाजी का रहने वाला हूं, हमारी खातेदारी जमीन मेरे दादाजी स्व. श्री धन्नाराम के नाम की जिनका स्वर्गवास होने पर जमीन मेरे पिताजी उनके भाई और बहनो के नाम हो गई। पिताजी की बहनो ने अपने हिस्से की जमीन भाईयों के पक्ष में हक त्याग कि है। जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिए पटवारी श्रीमती उर्मिला पटवार हल्का सेवदबड़ी से नामान्तरण खुलवाने के लिए मैं मिला तो मेरे से पटवारी ने 5000रूपये रिश्वत के मांग की है। मैं हमारे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। इस काम के लिए मेरे को मेरे पिताजी, चाचाओं ने अधिकृत किया था। रिपोर्ट करता हूँ। कार्यवाही करने की कृप्या करें। दिनांक 04.10.2023, अधिकृत पत्र अलग से पेश कर दुगां। एसडी–राजेन्द्र जाखड़ पुत्र श्री झाबरमल गांव

दीपपुरा राजाजी मोबा. 8696184316, एसडी–श्री सुरेशचन्द पु0नि0 दिनांक 04.10.2023, एसडी–गजेन्द्र सिंह दिनांक 10.10.2023, एसडी–सरजीत सिंह दिनांक 10.10.2023

कार्यवाही पुलिस

04.10.2023

02.30 पीएम इस समय परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ पुत्र श्री झाबरमल जाति जाट, उम्र–31 वर्ष, निवासी ग्राम दीपपुरा राजाजी, पुलिस थाना सदर सीकर जिला सीकर उपस्थित चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक दिनांक 04.10.2023

तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी राजेन्द्र जाखड़ को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व कैलाश चन्द कानि. नं. 386 का परिवादी राजेन्द्र जाखड़ से परिचय करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। समय 03.30 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र जाखड़ ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज पटवारी , पटवार मण्डल में नही मिलेगी, पटवारी कल अपने कार्यालय में मिलेगी जिससे मैं अपने कार्य के सम्बन्ध में कल जाकर मिलुंगा। कल मैं आपके कार्यालय में नही आ सकता इसलिये आप अपने कर्मचारी को मेरे पास सेंवदबड़ी बस स्टेण्ड भिजवा देना मैं वहॉ पर मिल जाउंगा। जिस पर डिजीटल टेप रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षीत रखा गया। परिवादी राजेन्द्र जाखड़ को मुनासीब हिदायत कर समय 03.50 पीएम पर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.10.2023 को समय 10.45 एएम पर कार्यालय की आलमारी में रखा डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर श्री कैलाश चन्द्र, कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ के मोबाईल नं. देकर गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सेवदबड़ी रवाना किया गया। समय 01.20 पीएम पर श्री कैलाश चन्द कानि. मय परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ के उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " चौकी से रवाना होकर सेवदबड़ी पहुॅचा जहॉ बस स्टेण्ड पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ उपस्थित मिला, जहॉ पर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के नजदीक पहूॅच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी टैप रिकार्डर लेकर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र में बने पटवार घर में अन्दर चला गया तथा परिवादी के राजीव गॉधी सेवा केन्द्र से वापिस बाहर आने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया।" परिवादी राजेन्द्र जाखड़ ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि " मैनें टेप रिकार्डर आपके कानि. से प्राप्त कर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र में बने पटवार घर के अन्दर जाकर श्रीमती उर्मिला, पटवारी से मिला तो पटवारी अपने कमरे से बाहर आकर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के गेट के पास आकर मेरे से बात करने लगी मैने जब अपने हक त्याग के नामान्तरण के सम्बन्ध में बात की तो पटवारी ने पॉच हजार रूपये देने की कही, तब मैने पॉच हजार रूपये ज्यादा है कही तो पटवारी ने कहॉ कि वो तो उस समय नायब जी को दिये थे। उसके पश्चात मैने एक हजार रूपये पटवारी को दे दिये और तीन हजार रूपये ओर देने की कही तो उर्मिला पटवारी ने कहा ठीक है, कब आवोगे तो मैने उसको मंगलवार का नाम लिया है। " फिर मैंने राजीव गॉधी सेवा केन्द्र से बाहर आकर डिजीटल टेप रिकार्डर श्री कैलाश चन्द्र कानि. को सुपुर्द कर दिया तथा सेवदबड़ी से रवाना होकर हम दोनो आपके कार्यालय में आ गये। डिजीटल टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। परिवादी ने बताया कि मैं रूपयो की व्यवस्था करके मंगलवार को आपके पास आ जाउंगा। जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादी को मुनासीब हिदायत कर समय 2.05 पीएम पर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 09.10.2023 को समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि पटवारी सुबह दस बजे कार्यालय में आ जाती है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी

को कल दिनांक 10.10.2023 को सुबह 08.30एएम पर एसीबी कार्यालय में पटवारी को रिश्वत में दिये जाने वाले तीन हजार रूपये साथ लेकर आने की मुनासीब हिदायत की। समय 01.25 पीएम पर श्री अशोक कुमार हैड कानि. को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर से दो स्वंतत्र गवाह राजकीय कर्मचारी लाने हेतु तहरीर देकर रवाना किया गया, जो कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर से दो स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री सरजीत सिंह, कनिष्ठ सहायकगण को हमरा लेकर हाजीर आया। उक्त दोनो गवाहान को कल दिनांक 10.10.2023 को समय 08.30एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.10.2023 को सुबह परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ एवं पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री सरजीत सिंह, कनिष्ठ सहायकगण, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी का परिचय दोनो गवाहान से करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.10.2023 को आरोपी श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय की मेरी आलमारी में सुरक्षीत रखा गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री कैलाश चन्द्र कानि. नं. 386 से कार्यालय के कम्प्यूटर में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तीन खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता की लेपटॉप की सहायता से उन तीनो सीडीयों में वार्ता की पृथक–पृथक कॉपी कर सीडी तैयार की गई। लेपटॉप से डिजीटल टेप रिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को उसकी पेकिंग कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए" अकिंत किया गया। तैयार की गई तीन सीडीयों में से एक सीडी को मार्क "ए–1" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "ए–1" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया।

तत्पश्चात समय 10.20 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ ने हिदायत देने पर आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6WC 334254
2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2RB 940539
3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0NQ 892488
4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4AK 504976
5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9KB 454215
6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2AK 646287

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्रीमती सुनिता, हैड कानि. 43 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री गजेन्द्र सिंह से परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 3,000 रूपयों के नोट श्रीमती सुनिता, हैड कानि. 43 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपिया से हाथ नही मिलाने एवं आरोपिया से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपिया द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपिया द्वारा रिश्वत स्वीकार

कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर 8696184316 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर 9414623697 पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्रीमती सुनिता, हैड कानि. 43 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती सुनिता, हैड कानि. 43 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं थी, उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई। समय 11.15 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ ने बताया कि मैंने श्रीमती उर्मिला, पटवारी, का पटवार घर सेवदबड़ी में आने का गोपनीय तौर पर मालूम किया है वह पटवार घर में नही आई है एवं मेरे घर आवश्यक कार्य होने से मुझे जाना है। जिस पर परिवादी की जेब में पावडर रखे तीन हजार रूपये श्रीमती सुनिता हैड कानि. 43 से निकलवाकर एक लिफाफे मे डलवाकर सुरक्षित आलमारी में रखवाये गये एवं डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त किया जाकर सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ को मुनासिब हिदायत की गई कि पटवारी जब भी आप से सम्पर्क करें तो मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.10.2023 को समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ उपस्थित कार्यालय आया एंव मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने गोपनीय रूप से मालुम किया है आज श्रीमती उर्मिला, पटवारी के सीकर में आने की सम्भावना है। जिस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री सरजीत सिंह, कनिष्ठ सहायकगण, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर को पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री सरजीत सिंह, कनिष्ठ सहायकगण, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.53 एएम पर आरोपिया श्री उर्मिला, पटवारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिये परिवादी राजेन्द्र जाखड़ के मोबाईल नम्बर 8696184316 से आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी के मोबाईल नम्बर 7742457961 पर कॉल लगवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तो आरोपिया पटवारी ने परिवादी को सीकर में राजकीय विज्ञान कॉलेज या तहसील कार्यालय तहसील ग्रामिण में मिलने की बात कही। जिस पर परिवादी ने घण्टे भर में पहुॅचने की कही। जिस पर पटवारी ने राजकीय विज्ञान कॉलेज के पास पहुॅचकर वार्ता करने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन के जरिये डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय 12.10 पीएम पर कार्यालय की मेरी आलमारी में लिफाफे में रखे पाउडर लगे पॉच–पॉच सौ रूपये के तीन हजार रूपये के नोट श्री रोहिताश कुमार हैड कानि. नं. 18 से निकलवाये जाकर स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त नोटो को श्री रोहिताश कुमार हैड कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहीनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर मुनासीब हिदायत की गई की रास्ते में इन नोटो को न तो छुये एवं आरोपिया से अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करें एवं आरोपिया के मांगने पर रिश्वती राशी देने के पश्चात निर्धारित

ईशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर समय 12.35 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483 तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह, श्री सरजीत सिंह, कनिष्ठ लिपिकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 एवं श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन एवं श्रीमती सुनिता हैड कानि. नं. 43 अपनी स्कुटी से एसीबी कार्यालय से राजकीय विज्ञान कॉलेज सीकर की तरफ रवाना होकर समय 01.00 पीएम पर राजकीय विज्ञान कॉलेज सीकर से 500मीटर पहले वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया एवं परिवादी के पिछे–पिछे श्रीमती मंजु महिला कानि. एवं श्रीमती सुनिता हैड कानि. को उसकी स्कुटी के रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पाट्री के शेष सदस्यो एवं स्वतंत्र गवाहान के रवाना हो वाहन को राजकीय विज्ञान महाविधालय, सबलपुरा, फतेहपुर रोड, सीकर की पार्किंग में वाहन में परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय 01.18पीएम पर राजकीय विज्ञान महाविधालय, सबलपुरा, फतेहपुर रोड, सीकर की वाहन पार्किंग में वाहन में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी जो कि कॉलेज के पोर्च के पश्चिम दिशा में बने रेम्प पर खड़ा होकर एक महिला से सवांद कर रहा था जो कि मुझे व मेरे साथ मौजुद स्वतत्र गवाहान एवं हमराहियान जाप्ता को स्पस्ट दिखाई दे रहा था। जिसने मुझे निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये राजकीय विज्ञान महाविधालय, सीकर की वाहन पार्किंग से कॉलेज के पोर्च के पश्चिम दिशा में बने रेम्प के पास पहूँचा जहॉ परिवादी खडा़ मिला एवं उसके पास एक महिला खड़ी थी, परिवादी ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अपने पास खड़ी महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यही उर्मिला, पटवारी है जिसने मुझसे रिश्वती राशी तीन हजार रूपये के नोट अपने हाथ में पकड़े हुये प्लास्टीक के फाईल फोल्डर में रखवा लिये। परिवादी के पास खड़ी महिला को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त महिला ने घबराते हुये अपना नाम श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी श्यामपुरा पुलिस थाना सदर सीकर जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि " मैनें इनसे किसी प्रकार के पैसे नही मांगे, आज इन्होने कहॉ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तथा मेरे से आज मिलकर मेरे को कहां कि में अपनी मर्जी से आपको पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमारा काम किया है, उसके पश्चात इन्होने मेरे को पैसे देने चाहे तो मैने मेरे हाथ में पकड़े हुये प्लास्टीक के फाईल फोल्डर में रखवा लिये" मौके पर ही परिवादी राजेन्द्र जाखड़ ने श्रीमती उर्मिला, पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि " श्रीमती उर्मिला, पटवारी जी झुठ बोल रही है, इन्होने पटवार हल्का सेवदबड़ी में हमारी पुस्तेनी भूमि का हक त्याग का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में मेरे से पॉच हजार रूपयें की मांग कर रही थी तथा दिनांक 05.10.2023 को मैं जब पटवार घर सेवदबड़ी में इनसे मिला तो इन्होने मेरे दादाजी की मृत्यु के पश्चात मेरी बुआजी वगैरा ने हक त्याग अपने भाईयो के नाम कर दिया। जिसका नामान्तरण दर्ज करने की एवज मे पहले पॉच हजार रूपये की मांग की तथा तब मैने एक हजार रूपये इनको दे दिये तथा तीन हजार रूपये ओर देने की बात पर सहमत होकर रूपयें मंगलवार को देने की कही, मंगलवार को ये पटवार घर में नही आयी और आज इनके मांगने पर ही मैने पाउडर लगे तीन हजार रूपये इनके कहे अनुसार इनके हाथ में पकड़े प्लास्टीक फाईल फोल्डर में रखे है।" श्रीमती उर्मिला, पटवारी से रूपयो के बारे में पुछा तो स्वंय के हाथ में पकड़े हुये प्लास्टीक के फाईल फोल्डर में होना बताया जिस पर श्रीमती

उर्मिला, पटवारी को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान , परिवादी को साथ लेते हुये राजकीय विज्ञान महाविधालय में प्राचार्य से अनुमति लेकर एक कमरे में पहुॅचकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। श्रीमती उर्मिला के हाथ में पकड़े हुये प्लास्टीक के फाईल फोल्डर को स्वतंत्र गवाह श्री गजेन्द्र सिंह से खुलवाकर देखा तो उसमें पॉच–पॉच सौ रूपये के नोट एक साईड से प्लॉस्टीक के कवर को छु रहे है एवं एक तरफ एक कागज जिसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सीकर ग्रामीण के नाम अवकाश चाहने के सम्बन्ध में श्रीमती उर्मिला पटवारी का प्रार्थना–पत्र है के बिच से निकलवाकर दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी रिश्वती राशि से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि तीन हजार रूपये के नोटो को गवाह श्री गजेन्द्र सिंह के पास सुरक्षीत रखवाये गये। तत्पश्चात श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10 के दोनो हाथो एवं एक प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलास में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। गिलास के रंगहीन घोल में एक रूई का फोवा लेकर डुबोया गया तो घोल रंगहीन रहा। उक्त रूई के फोवे से रिश्वत राशि बरामदगी प्लास्टीक के फाईल फोल्डर के अन्दर की तरफ पटवारी के अवकाश के प्रार्थना पत्र एवं फाईल फोल्डर के मध्य के स्थान को दोनो तरफ रूई के फोवे को रगड़कर गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलावाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क एफ–1, एफ–2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नस्ट करवाया गया। रूई के फोवे को सुखाकर एक प्लास्टीक की थेली में डालकर एक कागज के लिफाफे में डालकर मार्क –बी अकिंत कर सील्ड मोहर किया गया। प्लास्टीक के फाईल फोल्डर के अन्दर आरोपिया के अवकाश के प्रार्थना–पत्र के अलावा और भी कागजात पाये गये। जिनको फोल्डर से बाहर निकालकर पेज संख्या 01 से 33 अकिंत करवाये गये। कार्यवाही के दौरान तलबशुद्वा श्री बाबुलाल जाट पुत्र श्री सुरजमल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी ग्राम डेहरावाली तन. कल्याणपुरा पुलिस थाना एवं तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना हाल कार्यवाहक तहसीलदार, तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर उपस्थित आये जिनको फाईल फोल्डर में से निकाले गये पेज संख्या 01 से 33 तक की फोटो प्रति दी जाकर मूल कागजातो के प्रथम पृष्ठ एंव अन्तिम पृष्ठ पर परिवादी, आरोपी, दोनो गवाहान एवं तहसीलदार , सीकर ग्रामीण सीकर के हस्ताक्षकर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्रीमती उर्मिला के अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, आरोपी के हस्ताक्षकर करवाकर रिश्वत राशि बरामद प्लास्टीक के फाईल फोल्डर के अन्दर रखकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर मार्क–सी अकिंत कर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी द्वारा अपने हाथ में रखे प्लास्टीक के फाईल फोल्डर जिसमें रिश्वति राशि रखवाई थी से बरामदशुद्वा रिश्वती राशि 3,000 रूपये के नोट जो गवाह गजेन्द्र सिंह के पास रखवाये गये थे। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। उपरोक्त समस्त कुल 3,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, से परिवादी के हक त्याग के नामान्तरण के सम्बन्ध में पुछा तो बताया कि ''परिवादी का हक त्याग का नामान्तरण था जो मैंने महिने भर पहले ही दर्ज कर ग्राम पंचायत टाटनवा से तस्दीक करवा दिया था, उसके बाद नामान्तरण मैंने महीने भर पहले ही ऑन लाईन चढा दिया था। मेरे पास इनके नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई कार्य पेण्डिंग नही है एवं न ही मेरे को इनके खसरा नं, नामान्तरण संख्या याद है।''दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क एफ–1, एफ–2, रिश्वती राशि बरामगदी प्लास्टीक के फाईल फोल्डर के धोवन के काम में लिये गये रूई के फोवे के सील्ड पैकेट मार्क–बी एवं रिश्वती राशि बरामगदी प्लास्टीक के फाईल फोल्डर सफेद कपड़े की थेली मे सील्ड शुद्वा पेकेट मार्क–सी एवं सफेद कागज पर सील्ड रिश्वती राशि पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही काम में ली गई पीतल की सील का नमूना अलग से भी कागज की तीन चिटों पर लिया जाकर एक चिट नमूना सील गवाह श्री गजेन्द्र सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर

मुतालकीन को पढकर सुनाई जिन्होने सुन व समझ सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त कार्यवाही की विर्स्तत फर्द हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर परिवादी राजेन्द्र जाखड़ द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 13.10.2023 को समय 11.53 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 8696184316 से आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी के मोबाईल नम्बर 7742457961 पर कॉल लगवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया एवं परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ द्वारा दौराने रिश्वत लेनेदेन दिनांक 13.10.203 को आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी से मोबाईल पर एवं आमने–सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर मेमोरी कार्ड से उपरोक्त वार्ताओ को सुना जाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया। उक्त वार्ताओ में परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तीन खाली सीडी लेकर उक्त वार्ताओ की लेपटॉप की सहायता से उन तीनो सीडीयों में वार्ताओ की पृथक–पृथक कॉपी कर सीडी तैयार की गई। लेपटॉप से डिजीटल टेप रिकार्डर हटाकर उसमें से वार्ताओ का मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को उसकी पेकिंग कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क '' डी'' अकिंत किया गया। तैयार की गई तीन सीडीयों में से एक सीडी को मार्क ''डी–1'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर प्लॉस्टीक के कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क ''डी–1'' अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल टेप रिकार्डर प्रथक से तैयार की गई। समय 05.10 पीएम पर श्रीमती उर्मिला , पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 05.30 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया मय जप्त शुदा वजह सबुत के रवाना हो एसीबी कार्यालय सीकर में पहुॅच जप्त शुदा वजह सबुत मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी श्यामपुरा पुलिस थाना सदर सीकर जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री राजेन्द्र जाखड़ से उनकी पैत्रक भूमि का हक त्याग का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.10.2023 को परिवादी से पहले पॉच हजार रूपये की मांग की तथा बाद में परिवादी से एक हजार रूपये प्राप्त किये एवं तीन हजार रूपये ओर देने की बात पर सहमत होकर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 13. 10.2023 को रिश्वत लेनदेन के समय 3000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपिया श्रीमती उर्मिला, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी तहसील सीकर ग्रामिण जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री ओमप्रकाश, पुत्री श्री बोदूराम फगेड़िया, पटवारी, पटवार हल्का सेवदबड़ी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

14/10/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2929-32 दिनांक 14.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. कलक्टर, जिला सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

14/10/23

उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।